

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302 005
Phone: 0141-2227267 **Fax:** 0141-5115766
Website: www.rajsico.gov.in **E-mail:** rajsico@rajasthan.gov.in
CIN:-U91110RJ1961SGC001118

अहस्तांतरणीय

मूल्य:500
Non-Refundable

राजस्थली दिल्ली, व कोलकाता, हेतु निविदा प्रपत्र

निविदादाता/
आवेदक का
फोटो

निविदादाता/आवेदक का नाम :

निविदा प्रपत्र संख्या :

- निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि 02.12.16 समय मध्याह्न 1:00 बजे
- प्राप्त निविदा उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 3:00 बजे खोली जावेगी

नोट:- लिफाफे पर हस्तशिल्प का नाम एवं राजस्थली जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है का नाम अवश्य अंकित करें। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी


राजस्थली पर मिनिमम सेल गारन्टी पर हस्तशिल्प आईटम हेतु कन्साइन्मेंट काउन्टर्स/संयुक्त एम.एस.जी आवंटन किये जाने का आवेदन/निविदा प्रपत्र

1 विक्रय केन्द्र का नाम जहाँ काउन्टर :
चाहा गया है।

2 हस्तशिल्प का नाम जो आप विक्रय :
करेंगे

नोट:-

- टैक्नीकल बिड व फाईनेन्सियल बिड अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें तथा लिफाफे के उपर "टैक्नीकल बिड"/"फाईनेन्सियल बिड" अंकित करें।
- टैक्नीकल बिड में सफल निविदादाता की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी।
- निविदा फार्म व प्रपत्र निगम की वेब साइट से डाउन लोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क नकद /डीडी के द्वारा सेन्ट्रल स्टोर या "दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0" के नाम से जमा करवाया जाना होगा जिसकी सूचना /विवरण निविदा प्रस्तुत करते समय देनी होगी।



दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन न. 0141-2227267 फैक्स न. 0141-5115766
www.rajsico.gov.in E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in

टैक्नीकल बिड


- 1 क्या निविदादाता कारीगर/निर्माता है तो चिन्हित करें व समर्थन में वांछित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें। : 1. कारीगर
2. निर्माता
- 2 इस क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव है : _____
- 3 अमानत राशि रु. 20000/- नगद अथवा डी.डी. द्वारा : रसीद संख्या _____ दिनांक _____
ड्राफ्ट संख्या _____ दिनांक _____
- 4 आवेदक/निविदादाता का नाम एवं स्थाई पता, संस्थान का नाम भी लिखें
अ. मुख्यकर्ता का नाम एवं स्थाई पता : _____
ब. टेलीफोन नम्बर फैक्स नं० एवं मोबाइल नं० : _____
- 5 आवेदक फर्म का विवरण (कृपया चिन्हित करें) : 1. व्यक्तिगत
2. साझेदारी
3. कम्पनी
- 6 यदि साझेदारी फर्म है तो साझेदारी के नाम व पते यदि सोसायटी या कम्पनी है तो संचालको के नाम व स्थाई पते
नोट: साझेदारी डीड अथवा मेमोरेन्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। : 1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
- 7 उत्पादन स्थल का पूरा पता : _____

- 8 दुकान व संस्थान नियमों के अन्तर्गत यदि पंजीकृत हो तो उसका नम्बर व तिथि (रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति संलग्न करें) : _____
- 9 यदि संस्थान उद्योग विभाग से स्थाई रूप से रजिस्टर्ड हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक। (फोटो प्रति संलग्न करें) : _____

- 10 कया आप आयकर दाता है, यदि है तो : हाँ नहीं
पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न
संलग्न करे ।
- 11 पेन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
- 12 पिछले तीन वर्षों का व्यापारावर्त का
विवरण,(वेट रिटर्न के साथ) प्रस्तुत करे
- 13 कया राजस्थली के आस-पास आपका : हाँ नहीं
स्वयं का शोरूम तो नहीं है, अगर है तो
दूरी _____
कितनी दूरी पर है।
- 14 यदि आपके काफट पर वैट लगता हैं तो :
वैट/टिन रजिस्ट्रेशन नं. व दिनांक
(पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति
संलग्न करे)
- 15 वित्तीय स्थिति के समर्थन में सम्बंधित :
बैंक के शाखा प्रबंधक का साख सम्बंधी
प्रमाण पत्र संलग्न करे तथा बैंक का
नाम व खाता संख्या बतायें।

दिनांक:
स्थान :

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता



दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन न. 0141-2227267 फैक्स न. 0141-5115766
www.rajsico.gov.in E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in

फाईनेन्सियल बिड

1. वर्ष 2016–2018 (24 माह हेतु) के लिये न्यूनतम बिक्री गारन्टी राशि जिस पर निर्धारित दर से न्यूनतम बिक्री कमीशन निगम को देय होगा। : दो वर्ष की (24माह हेतु) न्यूनतम बिक्री गारन्टी राशि
अंको में रु _____
शब्दों में रु _____
2. क्राफ्ट का नाम
3. राजस्थली का नाम :

अन्य विवरण

दिनांक:
स्थान :

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता

निविदादाताओं के लिये विशेष निर्देश

1. निविदादाता निविदा देने से पूर्व काउन्टर हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले स्थान व अन्य उपलब्ध सुविधाओं इत्यादि की पूर्ण जानकारी संबंधित एम्पोरियम से प्राप्त कर सकता है तथा स्थान का अवलोकन भी कर सकता है। आवेदन पत्र का सम्पूर्ण सेट चाहे गये अनुसार पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित हो। शर्त व अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जा सकते हैं। निगम को स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. काउन्टर आवंटन में कारीगर/निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्त निविदाओं को खोलने के पश्चात यदि निगम द्वारा पार्टियों से निगोशिएशन करने का निर्णय लिया जाता है तो केवल उन्ही निविदादाताओं को निगोशिएशन के लिए बुलाया जावेगा, जिसकी ऑफर्स, प्राप्त अधिकतम ऑफर्स से 10 प्रतिशत या इससे कम अन्तर की पाई जावेगी। निविदाएं निगम द्वारा स्वीकृति देनेके प्रयोजन से निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिन तक वैध रहेगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि रु 20000/- नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट सेन्ट्रल स्टोर या दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन जयपुर के नाम से जमा कराया जाना आवश्यक है। अमानत राशि जमा नहीं करवाये जाने पर निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

—: घोषणा : —

4. यदि मुझे/हमें काउन्टर आवंटन हुआ तो मैं/हम नियम व शर्तों का पूर्णतया पालन करेंगे, जिसके प्रति स्वरूप नियम व शर्तें हस्ताक्षर करके संलग्न की जा रही हैं।
3. दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0 द्वारा व्यक्तिगत रूप अथवा मेरे/हमारे संस्थान/सोसायटी/फर्म के टेण्डर में भाग लेने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से अथवा फर्म/संस्थान की ओर से पूर्ण अधिकृत है।

आवेदक/अधिकृत के
हस्ताक्षर नाम एवं पूरा पता
हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये।

हस्ताक्षर राजपत्रात अधिकारी/नोटेरी पब्लिक

गवाह:

नियम एवं शर्तें

1. न्यूनतम बिक्री गारन्टी: –

कन्साइनमेन्ट काउन्टर के लिए वित्तीय वर्ष में न्यूनतम बिक्री की गारन्टी देनी होगी जिस पर 22.5 प्रतिशत कमीशन निगम के पक्ष में भुगतान करना होगा यदि वास्तविक बिक्री न्यूनतम गारन्टी बिक्री से अधिक होती है तो वास्तविक बिक्री राशि पर भी 22.5 प्रतिशत कमीशन देय होगा। यदि किसी विशेष महिने में बिक्री न्यूनतम गारन्टी राशि पर देय कमीशन से भी कम होती है तो देय न्यूनतम कमीशन तथा वास्तविक बिक्री की अन्तर राशि कन्साईनर द्वारा अगामी माह की 12 तारीख तक निगम को जमा करवानी होगी।

2. लाइसेन्स फीस :-

काउन्टर का स्थान:- प्रत्येक काउन्टर के लिए प्रत्येक राजस्थली में स्थान निर्धारित है जिसका विवरण परिसिष्ट-“अ ” में वर्णित है निर्धारित स्थान का आवलोकन निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित प्रभारी राजस्थली के सहयोग से किया जा सकता है ।

क्रम संख्या 1 पर अंकित कमीशन की राशि के अतिरिक्त कन्साईनर द्वारा निम्नानुसार महावारी दरों से फर्नीचर, पानी, बिजली, पंखे की सुविधा निगम द्वारा प्रदान किये जाने के प्रतिफल स्वरूप लाइसेन्स फीस निम्नानुसार निगम को देय होगी ।

क्र०	विक्रय केन्द्र	लाइसेन्स फीस प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह
1.	कोलकाता , राजस्थली दिल्ली	सम्बन्धित विक्रय केन्द्र द्वारा काउन्टर हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान(कारपेट एरिया) के लिए लाइसेन्स फीस राशि प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह निम्न प्रकार से वसूल की जावेगी 75.00 रु. प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह। तलघर राशि 100/-, ग्राउण्ड फ्लोर 150/-, मेजनाइन 130/-, प्रथम तल 120/-,द्वितीय तल 110/- एवं तृतीय तल 100/- प्रतिवर्ग फीट प्रतिमाह।

3. बीमा :-

कन्साईनर द्वारा स्वयं के रखे गये सामान का बीमा अपने खर्चे पर कराना होगा ।

निगम किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा

4. अनुबंध अवधि: -

बिना अनुबन्ध किये काउन्टर/स्थान का कब्जा कन्साईनर को किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा। काउन्टर 2 वर्ष के लिए आवंटित किये जावेंगे, परन्तु यह अवधि दोनों पक्षों द्वारा आपसी समझौते से अधिकतम तीन माह तक बढ़ाई जा सकती है। यदि निविदादाता की कार्य विधि, व्यवहार तथा विक्री सन्तोषप्रद नहीं पायी गयी तो निगम को अनुबन्ध उक्त अवधि से पूर्व भी निरस्त कर शेष अवधि के लिए काउन्टर वित्तीय अधिकतम निविदादाता को अनुपातिक आधार पर उपलब्ध करा दिया जावेगा इस विषय में निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

5. धरोहर राशि: -

सफल निविदादाता द्वारा 6 माह के न्यूनतम बिक्री गारन्टी पर देय अनुपातिक कमीशन के बराबर धरोहर राशि काउन्टर पर विक्री प्रारंभ करने से पूर्व जमा करानी पड़ेगी जो राशि 60 प्रतिशत नकद व 40 प्रतिशत बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराना होगा । संख्या -2 पर अंकित लाइसेन्स फीस की 6 माह की अनुपातिक राशि के बराबर नगद प्रतिभूति बतौर बिक्री प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करवानी पड़ेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों का पूर्ण पालन किए जाने के पश्चात् अनुबन्ध की समाप्ति पर लिखित आवेदन करने पर लौटा दी जावेगी। यदि अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पहले ही उसकी शर्तों के उल्लंघन के कारण /निरन्तर बिक्री कम होने से यदि खाता डेविट होता है तो यदि निगम द्वारा काउण्टर समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापिस लिया जाता है तो प्रतिभूति की राशि जब्त/समायोजन कर ली जावेगी तथा इसके फलरूप निगम को हुई हानि यदि प्रतिभूति राशि से अधिक होगी तो शेष राशि कन्साईनर को देय अन्य राशि से एवं न्यायालय के माध्यम से वसूल की जावेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

6. विक्रय प्रक्रिया: -

काउन्टर पर समस्त बिक्री निगम द्वारा इस उद्देश्य से उपलब्ध करवायी गई केशमीमों के द्वारा ही की जावेगी। राजस्थली/निगम द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जाना निविदादाता के लिए अनिवार्य है। केशमीमों की राशि निगम के द्वारा

अधिकृत केश काउन्टर पर ही एकत्रित की जावेगी, जो कन्साईनर को आगामी माह की 30 तारीख तक निगम को देय कमीशन, लाइसेन्स फीस एवं अन्य बकाया राशि को काटकर भुगतान की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में चालू माह में अधिकतम एक बार अग्रिम दिया जा सकेगा, बशर्ते कि अग्रिम लेते समय उस माह का पूर्ण कमीशन, लाइसेन्स फीस एवं अन्य बकाया राशि से अधिक की बिक्री काउन्टर पर हो जाती है

7. निविदादाता के स्वयं के अन्य शोरूम राजस्थली के आसपास होने की स्थिति में:—

यदि किसी निविदादाता का स्वयं का अथवा परोक्ष रूप से सहभागिता का शोरूम या दुकान उसी मार्ग पर जिस पर राजस्थली शोरूम स्थित है, या राजस्थली शोरूम के आसपास स्थित है, उस स्थिति में निगम सामान्य स्थिति में निविदा पर विचार न करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. विक्रय राशि पर छूट :—

कन्साईनर द्वारा जैसा कि व्यवस्थापक अथवा निगम का अधिकृत अधिकारी निर्देश देवें तो विक्रय राशि पर 20 प्रतिशत तक की छूट देनी होगी। छूट की आधी राशि निगम द्वारा और शेष आधी राशि कन्साईनर वहन करेगा। ऐसी बिक्री पर निगम को देय निर्धारित दर पर कमीशन निगम द्वारा वहन की गई छूट की राशि को कम करके गणना की जावेगी। कन्साईनर द्वारा स्वयं की इच्छा से दी गई छूट उसके द्वारा ही वहन की जावेगी। ऐसी बिक्री पर निगम को देय कमीशन की राशि वही होगी जो कि ऐसी छूट न देने पर होती।

9. (अ) वैट /अन्य कर की वसूली:—

कन्साईनर द्वारा विधि तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बिक्री पर निर्धारित दर से वैट वसूल करना होगा। ऐसा करने में असफल होने पर वैट की राशि विक्रय राशि से वसूल की जावेगी। हस्तशिल्प के नाम की भाषा में फेर-बदल आदि करके वैट का अपवंचन करने की स्थिति में राजस्थली के प्रबंधक/प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर पेनल्टी लगाकर भविष्य में ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दें। यदि तीन बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, उस स्थिति में प्रबंधक/प्रभारी बिक्रीकर पर रोक लगाकर मुख्यालय को सूचित करे। निगम उक्त अवस्था में तुरन्त प्रभाव से दी गई सुविधा/अनुमति को निरस्त भी कर सकेगा।

(ब) सर्विस टैक्स व अन्य देय कर.— नियमानुसार कन्साईनर को वहन करना होगा।

10. माल की उचित दर निर्धारण: —

कन्साईनर द्वारा काउन्टर पर बिक्री हेतु रखे गये माल की उचित कीमत ली जावेगी एवं उसको इस सम्बन्ध में दिये निर्देशों का पालन करना होगा। माल की उचित दर निर्धारण में व्यवस्थापक/प्रभारी अथवा निगम के अधिकृत अधिकारी के निर्णय की पालना किया जाना कन्साईनर के लिए अनिवार्य होगा तथा निगम को हस्तक्षेप किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि कन्साईनर की किसी प्रकार की त्रुटि या भूल चूक के कारण निगम को किसी भी प्रकार की हानि उठानी पडती है तो उस हानि की पूर्ति कन्साईनर द्वारा करनी होगी और निगम को यह अधिकार होगा की उस हानि की राशि को बिक्री की राशि में से अथवा अन्य कोई देय राशि में से वसूल कर ले। किसी क्रेता की गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत का निराकरण निगम के निर्देशानुसार दूर करने का दायित्व कन्साईनर का होगा। प्रबन्धक/प्रभारी विक्रय केन्द्र को यह भी अधिकार होगा की अगर उसे काउन्टर पर किसी सामान की विक्रय दर अधिक प्रतीत होती है तो वह सामान की बिक्री बन्द करवा सकता है

11 माल की उचित गुणवत्ता:—

कन्साईनर को काउन्टर पर बिक्री हेतु रखे गये माल की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। निगम माल की गुणवत्ता के बारे में उचित प्रमाण-पत्र अथवा जानकारी प्राप्त कर सकता है। अपने विवेकानुसार निगम यह महसूस करता है कि बिक्री हेतु रखे गये माल की गुणवत्ता में कमी के कारण क्रेता में असंतोश की भावना उत्पन्न हो सकती है अथवा राजस्थली की साख पर विपरीत प्रभाव पड सकता है तो आवंटन निरस्त करने व हुई हानि अगर कोई हो तो की वसूली कन्साईनर से करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

12 काउन्टर नियंत्रण व अधीक्षण संबंधी शर्तें : —

काउन्टर पर पूर्ण नियन्त्राण व अधीक्षण निगम का होगा। निगम के अधिकारी /कर्मचारी/ सेवक अथवा प्रतिनिधि काउन्टर का निरीक्षण कर सकेंगे, कि काउन्टर आवंटन की शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं??

- 13 **कन्साईनर के काउन्टर्स के कब्जे संबंधी अधिकार: –**
- कन्साईनर को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से काउन्टर का कब्जा दे दें अथवा उसके किसी भाग को दूसरों के सुपुर्द कर दें। इस शर्त के उल्लंघन पर निगम द्वारा काउन्टर का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा पूर्व सूचना दिया जाना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा एवं इससे निगम को हुई वित्तीय हानि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 14 **कन्साईनर द्वारा नियुक्त विक्रय सहायक संबंधी शर्तें: –**
- एक आवंटित काउन्टर पर एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त नहीं किए जा सकते। पार्टी द्वारा लिखित अनुरोध पर प्रबन्धक/प्रभारी यदि आवश्यक समझे तो अधिक विक्रय सहायकों को नियुक्त करने की इजाजत दे सकते हैं। कन्साईनर द्वारा अच्छे चरित्र व आचरण के व्यक्ति को माल की बिक्री हेतु काउन्टर पर नियुक्त किया जावेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उम्र, पता एवं नमूने के हस्ताक्षर उनके फोटो पहचान पत्र सहित निगम को उनकी वास्तविक नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत करने होंगे एवं निगम पहचान पत्र जारी कर सकेगा। निगम को अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगादे जो कि अवांछित हो।
- 15 **प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं संबंधी उत्तरदायित्व:–**
- निगम कन्साईनर के माल की हर संभव सुरक्षा एवं संरक्षा करेगा लेकिन किसी भी प्रकार की घिसावट, कमी, चोरी, (**pilferage**) अथवा दंगे, अग्नि, डकैती अथवा अन्य (**unforeseen**); कारणों, भूकम्प व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 16 **कमीशन भुगतान संबंधी शर्तें: –**
- चैक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड जो काउन्टर पर की गयी बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त होंगे उनको भुनाने का कमीशन कन्साईनर द्वारा वहन किया जावेगा।
- 17 **माल के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी शर्तें: –**
- कन्साईनर केवल निर्दिष्ट माल को निगम के अधीक्षण में प्रदर्शन एवं बिक्री कर सकेगा तथा निगम द्वारा दिये गये समस्त निर्देशन एवं अनुदेशन का पालन करना होगा, जिसके असफल/उल्लंघन होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि कन्साईनर व उसके किसी अन्य कर्मचारी का काउन्टर पर प्रवेश रोक दे।

18 **टेलीफोन व अन्य सुविधाओं संबंधी शर्तः—**

किसी भी कन्साईनर को टेलीफोन/लैण्ड लाईन, इन्टरनेट, WAN, LAN, आदिच सुविधाएं स्वयं के नाम से लेने की इजाजत नहीं होगी। इस शर्त की अवहेलना पाये जाने पर निगम बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा सकता है।

19 **बकाया राशि पर ब्याज भुगतान संबंधी नियमः —**

निर्धारित अवधि के पश्चात बकाया राशि पर कन्साईनर द्वारा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से निगम को ब्याज भुगतान करना होगा।

20 **बिक्री काउन्टर की व्यवस्था संबंधी नियमः —**

कन्साईनर द्वारा बिक्री काउन्टर को साफ तथा अच्छी हालत में रखा जावेगा एवं अच्छी किस्म का सामान स्टोर किया जावेगा। उससे यह आशा की जाती है कि किसी भी प्रकार से काउन्टर की दीवारों, फर्श एवं अन्य ढांचे को क्षति न पहुंचे। किसी भी कारण यदि निगम को क्षति होती है तो इसकी वसूली कन्साईनर से की जावेगी। उसे तथा उसके कर्मचारियों द्वारा निगम द्वारा समय समय पर एम्पोरियम/ काउन्टर के लिये बनाये गये नियमों का पालन करना होगा।

21 **बिक्री किये जाने वाले काफ्ट पर लागू नियमों का पालनः —**

कन्साईनर द्वारा बिक्री किये जाने वाले काफ्ट पर लागू समस्त नियमों एवं कानूनों का पालन करना होगा और किसी भी कारण अथवा भूल से निगम को डुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।

22 **एम्पोरियम में प्रवेश का अधिकारः —**

एम्पोरियम में प्रवेश का अधिकार निगम द्वारा सुरक्षित है।

23 **एम्पोरियम की कार्यविधि की पालना संबंधी नियमः —**

कन्साईनर द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जो निगम की दृष्टि में आपत्तिजनक है अथवा जो निगम/ एम्पोरियम की कार्यविधि (Decorum) के प्रतिकूल है, नहीं किया जावे।

24 सुरक्षा संबंधी नियम: –

कन्साईनर द्वारा काउन्टर पर कोई भी खतरनाक, आग लगने वाला व अन्य तरह से नुकसान पहुंचाने वाला सामान नहीं रखा जावेगा।

25 एम्पोरियम की व्यवस्था संबंधी नियम: –

एम्पोरियम बन्द होने पर कन्साईनर अपना सामान उनको दी गई जगह अलमीरा/काउन्टर में ताला लगाकर सुरक्षित रखेंगे एवं एम्पोरियम बन्द होने के समय काउन्टर छोड़ देंगे। निगम एम्पोरियम का कार्य समय समय पर निश्चित करेगा व जिसका पालन कन्साईनर को करना होगा।

26 निगम के नाम के उपयोग संबंधी शर्त: –

कन्साईनर निगम के नाम का उपयोग बिना पूर्वानुमति के किसी विज्ञापन व प्रचार आदि के लिए नहीं करेगा।

27 आवंटन वापस लेने संबंधी परिस्थितियां: –

निम्नांकित किन्ही एक कारण से आवंटन को वापिस लेने/समयावधि से पूर्व समाप्त करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा—

क – यदि कन्साईनर द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।

ख – यदि कन्साईनर पूरे कलेण्डर महिने में काउन्टर को बिक्री के लिए खोलने में असमर्थ रहे।

ग – यदि कन्साईनर कमीशन, अन्य बकाया राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में करने में असफल रहे।

घ – यदि कन्साईनर अनुबन्ध की कोई भी शर्त का उल्लंघन करें।

ङ – यदि कन्साईनर की मृत्यु हो जावे अथवा वह दिवालिया हो जावे, जिसके कारण काउन्टर पर बिक्री को बन्द करना पड़े अथवा रिसीवर या लिक्वीडेटर के तहत बिक्री करनी पड़े।

च – राज्य सरकार/निगम द्वारा ली गई नवीन नीति/ निर्णय के तहत निगम हित में पाए जाने पर निगम एक माह के नोटिस पर काउन्टर खाली कराने का अधिकार रखता है।

28 आवंटन वापस लेने की दशा में निगम की यथाविधि: –

उपर्युक्त परिस्थितियों में लाइसेन्स को वापिस लेने की दशा में निगम काउन्टर का पूर्ण अधिकार माल सहित लेने में स्वतंत्र होगा निगम के समस्त बकाया का भुगतान काउन्टर को वापिस लेने की तिथि से एक महिने के अन्दर कन्साईनर को करना होगा ऐसा नहीं करने पर निगम को यह अधिकार होगा कि कन्साईनर के माल को नीलाम कर दें और प्राप्त राशि को कन्साईनर पर बकाया तथा उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि ऐसी क्षति पूरक राशि को सम्मिलित करते हुए जैसा कि निगम अपने पूर्ण विवेक से तय करे, मय समायोजित कर ली जावेगी। उसके पश्चात यदि कोई राशि शेष रहती है तो कन्साईनर को बिना ब्याज के भुगतान कर दी जावेगी।

29 कन्साईनर को सूचना संबंधी नियम: –

कन्साईनर को यदि कोई सूचना दी जाए या देना आवश्यक हो जावे तो वह पर्याप्त रूप से दी गई मानी जावेगी यदि निगम द्वारा या इसके किसी एजेन्ट के द्वारा पोस्ट के जरिये, पंजीकृत पत्र द्वारा उल्लेखित पते पर भेजी गई हो अथवा विकल्प के रूप में वर्णित काउन्टर पर चिपका दी गई हो।

30 विवाद व निवारण संबंधी नियम: –

इस लाइसेन्स से संबंधित कोई भी विवाद/मतभेद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होने पर ऐसे समस्त विवाद /मतभेद निस्तारण हेतु प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०, जयपुर को प्रेषित किया जा सकेंगे। निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष को प्रेषित किये गये ऐसे समस्त विवादों का निस्तारण बहैसियत एकल पंच करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। यदि प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष चाहे तो वे ऐसे विवादों /मतभेदों को बहैसियत एकलपंच निस्तारित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को मनोनित करने हेतु स्वतन्त्र होंगे। इस संबंध में पक्षकारों ने सहमति यह जानते हुये दी है कि अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक का निगम में बहैसियत अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक हित निहित है। पक्षकारों के मध्य उत्पन्न समस्त विवादों /मतभेदों का निस्तारण का क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय को होगा।

31 प्रदर्शनी आयोजन संबंधी नियम: –

यदि निगम द्वारा बिक्री के लिये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है तो ऐसी प्रदर्शनी में कन्साईनर को अपना माल प्रदर्शित एवं बेचने हेतु प्राथमिकता दी जा सकती है । अगर वह प्रदर्शनी में भाग लेने में असमर्थ रहता है उसका यह कृत्य उसके लाइसेन्स को समाप्त करने के योग्य होगा । इस विषय में अंतिम निर्णय निगम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा कन्साईनर के लिये अंतिम तथा मान्य होगा ।

32 अनुबन्ध निष्पादन संबंधी नियम: –

कन्साईनर द्वारा 100 रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में काउन्टर स्वीकृत पत्र जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा ।

33 निविदा को मान्य /अमान्य करने संबंधी नियम: –

किसी भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा तथा पार्टी को इसके लिए कोई कारण नहीं बतलाया जावेगा ।

34 आवंटित स्थान संबंधी नियम: –

निविदादाता निविदा देने से पूर्व संबंधित विक्रय केन्द्र के व्यवस्थापक/प्रभारी से सम्पर्क कर उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान व अन्य सुविधाओं की जानकारी कर लेवे । निगम को आवंटन स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिस हेतु निविदादाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

35 अस्थायी रूप से विक्रय केन्द्र बंद करने की दशा में निगम की यथाविधि: :-

नवीनीकरण अथवा किसी अन्य कारण से निगम को यदि कुछ समय के लिए विक्रय केन्द्र बन्द करना पड़े अथवा मिनिमम सेल गारन्टी व्यवस्था रोकनी (Discontinue) पड़े तो इस अवधि हेतु देय अनुपातिक मिनिमम सेल गारन्टी राशि को कुल मिनिमम सेल गारन्टी राशि में से कम कर दिया जावेगा । उक्त अवधि में काउन्टर होल्डर द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर निगम द्वारा निर्धारित कमीशन व लाइसेन्स फीस चार्ज की जावेगी ।

नोट:— भौतिक सत्यापन के समय विक्रय केन्द्र यदि बिक्री बन्द रखता है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी ।

36 निगम के कार्यविधि की अवमानना संबंधी नियम: —

यदि कन्साईनर एम्पोरियम के प्रबंधक/प्रभारी के निर्देशों की अवमानना करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आने वाले ग्राहक को यह प्रतीत हो कि काउन्टर एम्पोरियम का हिस्सा नहीं है या कन्साईनर इस काउन्टर को चला रहा है, ऐसी स्थिति में प्रबंधक/प्रभारी तुरन्त प्रभाव से आवन्तित काउन्टर पर बिक्री बंद कर सकता है।

37 कम्प्यूटरीकरण संबंधी नियम: —

यदि निगम अपने शोरूम का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड करवाता है तो कन्साईनर को भी आवन्तित काउन्टर का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड पर जो भी खर्चे होंगे उसका भुगतान कन्साईनर को निगम में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

38 ड्रेस कोड संबंधी नियम: —

निगम अपने शोरूम में जो ड्रेस कोड स्थापित करता है, कन्साईनर को भी स्वयं के खर्चे पर अपने विक्रय सहायक हेतु ड्रेस कोड नियम का पालन करना होगा ।

39 यदि कोई कन्साईनर किन्हीं परिस्थितियों में निगम द्वारा विशिष्ट प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाये गये स्थान के लिए किरायेदारी हक या अन्य दावे के लिए न्यायिक प्रक्रिया करता है तो निगम उसे ब्लेक-लिस्ट कर सकेगा।

उपर्युक्त शर्तें पुर्णतया स्वीकार है।

दिनांक:

स्थान :

हस्ताक्षर प्रमाणित:

राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी पब्लिक

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता
(मय मोहर)

परिशिष्ट-“अ”

मिनिमम सेल गारन्टी पर आवंटित काउन्टरों के लिए दी जाने वाली जगह का व्यौरा:-


राजस्थली दिल्ली

	काफ़्ट	जगह का व्यौरा
1	राजस्थानी हैण्ड ब्लोक प्रिन्टेड टाई एण्ड डाई के सिले सिलाए वस्त्र (डिज वियर के अतिरिक्त),	90 व.फुट मेजनाइन
2	साडियों जरी गोटे के काम की	200 व.फुट मेजनाइन
3	टैक्सटाइल कलैक्शन (बिना सिले सिलाए वस्त्र/कपडा)	80 व.फुट मेजनाइन
4	ब्रास एण्ड मैटल आईटमस	100 व.फुट द्वितीय तल
5	रजाईयों व क्वील्टेड आईटम	200 व.फुट प्रथम तल
6	मूल्यवान अर्द्धमूल्यवान रत्न व रत्न जडित आभूषण, प्लेन सिल्वर ज्वैल बीकानेरी मीना ज्वैलरी,	197 व.फुट ग्राउण्ड फ्लोर
7	फर्नीचर , वूडन आईटमस,	1060 व.फुट तलघर 100 व.फुट ग्राउण्ड फ्लोर
8	राजस्थानी मोजरी	100 व.फुट प्रथम तल
9	सुविनीयर आईटमस(एम.एस.जी.आईटमस से भिन्न)।	80 व.फुट ग्राउण्ड फ्लोर

, . . .

राजस्थली गरियाहाट, कोलकाता

	काफ़्ट	जगह का व्यौरा
1	राजस्थानी मोजरी	32 व.फुट ग्राउण्ड फ्लोर
2	प्लेन सिल्वर ज्वैलरी व बीकानेरी मीना ज्वैलरी।	10 व.फुट ग्राउण्ड फ्लोर



द राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न. 0141-2227267 फैक्स न. 0141-5115766
Website: www.rajsico.gov.in E-mail: rajsico@rajasthan.gov.in
CIN:-U91110RJ1961SGC001118

अहस्तांतरणीय

मूल्य: 500/-
Non-Refundable

माउण्ट आबु,

राजस्थानी हस्तशिल्प उत्पाद विक्रय करने हेतु निविदा

निविदादाता
/

निविदादाता/आवेदक का नाम : _____

निविदा प्रपत्र संख्या : _____

- निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि **02.12.2016** समय मध्यान्ह **1:00** बजे
- प्राप्त निविदा उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष **3:00** बजे खोली जावेगीं

नोट:- लिफाफे पर हस्तशिल्प का नाम एवं राजस्थली जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है का नाम अवश्य अंकित करें। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

राजस्थली पर मिनिमम सेल गारन्टी पर हस्तशिल्प आईटम हेतु एम.एस.जी आवंटन किये जाने का आवेदन/निविदा प्रपत्र


1 विक्रय केन्द्र का नाम जहाँ के लिए : _____
निविदा की जा रही है।

2 हस्तशिल्प का नाम जो आप विक्रय करेंगे : _____

नोट:-

- टैक्नीकल बिड व फाईनेन्सियल बिड अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें तथा लिफाफे के उपर "टैक्नीकल बिड" / "फाईनेन्सियल बिड" अंकित करें।
- टैक्नीकल बिड में सफल निविदादाता की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी।
- निविदा फार्म व प्रपत्र निगम की वेब साइट से डाउन लोड किया जा सकता है । निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क नकद / डीडी के द्वारा सेन्ट्रल स्टोर या "दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०" के नाम से जमा करवाया जाना होगा जिसकी सूचना / विवरण निविदा प्रस्तुत करते समय देनी होगी ।

द राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०



उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न. 0141-2227267 फ़ैक्स न. 0141-5115766

website : www.rajsico.com * e-mail : rajsico@rajsico.com

टैक्नीकल बिड

- 1 क्या निविदादाता कारीगर/निर्माता है तो : कारीगर
चिन्हित करें व समर्थन में वांछित निर्माता
दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।
- 2 इस क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव है : _____
- 3 अमानत राशि रू. 20000/- नगद : रसीद संख्या _____ दिनांक _____
अथवा डी.डी. द्वारा ड्राफ्ट संख्या _____ दिनांक _____
- 4 आवेदक/निविदादाता का नाम एवं
स्थायी पता, संस्थान का नाम भी लिखें
अ. मुख्यकर्ता का नाम एवं स्थायी पता : _____
ब. टेलीफोन नम्बर फ़ैक्स नं० एवं : _____
मोबाइल नं०
- 5 आवेदक फर्म का विवरण : 1. व्यक्तिगत
(कृपया चिन्हित करें) 2. साझेदारी
3. कम्पनी
- 6 यदि साझेदारी फर्म है तो साझेदारी के : 1. _____
नाम व पते यदि सोसायटी या कम्पनी है 2. _____
तो संचालको के नाम व स्थायी पते 3. _____
नोट: साझेदारी डीड अथवा मेमोरेन्ड की 4. _____
सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य
है।
- 7 उत्पादन स्थल का पूरा पता : _____

- 8 दुकान व संस्थान नियमों के अन्तर्गत : _____
 यदि पंजीकृत हो तो उसका नम्बर व
 तिथि (रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति संलग्न
 करें)
- 9 यदि संस्थान उद्योग विभाग से स्थाई : _____
 रूप से रजिस्टर्ड हो तो उसका
 रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक। (फोटो प्रति
 संलग्न करें)

10	क्या आप आयकर दाता है, यदि है तो पिछले गत वर्षों की आयकर व वैट रिटर्न संलग्न करे ।	:	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
11	पेन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें		
12	क्या राजस्थली के आस-पास आपका स्वयं का शोरूम तो नहीं है, अगर है तो कितनी दूरी पर है।	:	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> दूरी _____


- 13 यदि आपके क्वाफ्ट पर वैट लगता है तो :
 वैट/टिन रजिस्ट्रेशन नं. व दिनांक
 (पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति
 संलग्न करे)
- 14 वित्तीय स्थिति के समर्थन में सम्बंधित :
 बैंक के शाखा प्रबंधक का साख सम्बंधी
 प्रमाण पत्र संलग्न करे तथा बैंक का
 नाम व खाता संख्या बतायें।

दिनांक:

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के

स्थान :

हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता



दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
फोन न. 0141-2227267 फैक्स न. 0141-5115766
web site : www.rajsico.com * e-mail rajsico@rajasthan.gov.in

फाईनेन्सियल बिड

1. वर्ष 2016-2019 (36 माह हेतु) के लिये : तीन वर्ष की (36माह हेतु) न्यूनतम बिक्री न्यूनतम बिक्री गारन्टी राशि जिस पर निर्धारित दर से न्यूनतम बिक्री कमीशन निगम को देय होगा।
- तीन वर्ष की (36माह हेतु) न्यूनतम बिक्री गारन्टी राशि (न्यूनतम बिक्री गारन्टी प्रथम वर्ष में दी गई न्यूनतम बिक्री गारन्टी से कम से कम 10 से 15 प्रतिशत बढ़ती हुई होनी चाहिए।)

अंको में रू शब्दों में रू

प्रथम वर्ष –
द्वितीय वर्ष–
तृतीय वर्ष–

2. यदि तीन वर्ष पश्चात आपसी सहमति से समयावधि बढ़ाई जाती है तो आगामी दो वर्ष की के लिये न्यूनतम बिक्री गारन्टी राशि जिस पर निर्धारित दर से न्यूनतम बिक्री कमीशन निगम को देय होगा।
- चतुर्थ वर्ष –
पॉचवाँ वर्ष–

3. क्राफ्ट्स का नाम जो शोरूम में बिक्री किये जावेगे।

राजस्थली का नाम

अन्य विवरण


4

दिनांक:

निविदादाता / अधिकृत प्रतिनिधि के

स्थान :

हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता



द राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि०

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न. 0141-2227267 फैक्स न. 0141-5115766

web site : www.rajsico.com * e-mail rajsico@rajasthan.gov.in

निविदादाताओं के लिये विशेष निर्देश

1. निविदादाता निविदा देने से पूर्व काउन्टर हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले स्थान व अन्य उपलब्ध सुविधाओं इत्यादि की पूर्ण जानकारी संबंधित एम्पोरियम से प्राप्त करें तथा स्थान का अवलोकन भी स्वयं करे। निगम को स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
2. आवेदन पत्र का सम्पूर्ण सेट चाहे गये अनुसार पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित हो। शर्त व अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जा सकते हैं।
3. आवन्तन में कारीगर/निर्माताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्त निविदाओं को खोलने के पश्चात यदि निगम द्वारा पार्टियों से निगोशिएशन करने का निर्णय लिया जाता है तो केवल उन्ही निविदादाताओं को निगोशिएशन के लिए बुलाया जावेगा, जिसकी ऑफर्स, प्राप्त अधिकतम ऑफर्स से 10 प्रतिशत या इससे कम अन्तर की पाई जावेगी। निविदाएं निगम द्वारा स्वीकृति देनेके प्रयोजन से निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिन तक वैध रहेगी।
4. निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राशि रु 20000/- नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट 'सेन्ट्रल स्टोर' या 'दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन' जयपुर के नाम से जमा कराया जाना आवश्यक है। अमानत राशि जमा नहीं करवाये जाने पर निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. सफल निविदा दाता को आवन्तित शोरूम को निविदादाताओं स्वयं के खर्चे पर 21 दिन के भीतर उपयोग योग्य (ए.सी सहित आन्तरिक साज-सज्जा आदि) बनाना होगा जिसकी लागत लगभग माउण्ट आबू में रूपये 2 लाख से 3 लाख अनुमानित है। आन्तरिक साज-सज्जा में लगाए गये फिक्चर व फर्निचर आदि को अनुबन्ध की समाप्ति के बाद यह सभी सम्पत्ति निगम की मानी जावेगी एवं इसके पेटे पार्टी को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

—: घोषणा : —

1. यदि मुझे/हमें काउन्टर आवंटन हुआ तो मैं/हम नियम व शर्तों का पूर्णतया पालन करेंगे, जिसके प्रति स्वरूप नियम व शर्तें हस्ताक्षर करके संलग्न की जा रही हैं।
2. दी राजस्थान स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० द्वारा व्यक्तिगत रूप अथवा मेरे/हमारे संस्थान/सोसायटी/फर्म के टेण्डर में भाग लेने के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से अथवा फर्म/संस्थान की ओर से पूर्ण अधिकृत है।

आवेदक/अधिकृत केहस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक गवाह:

1

2

हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये।

नियम एवं शर्तें

1. न्यूनतम बिक्री गारन्टी: –

शोरूम हेतु 3+2 वर्षों के लिए वर्षवार न्यूनतम बिक्री की गारन्टी देनी होगी जिस पर 25 प्रतिशत कमीशन निगम के पक्ष में भुगतान करना होगा। यदि वास्तविक बिक्री न्यूनतम गारन्टी बिक्री से अधिक होती है तो वास्तविक बिक्री राशि पर भी 25 प्रतिशत कमीशन देय होगा। यदि किसी विशेष महिने में बिक्री न्यूनतम गारन्टी राशि पर देय कमीशन से भी कम होती है तो देय न्यूनतम कमीशन तथा वास्तविक बिक्री की अन्तर राशि आवन्टी द्वारा अगामी माह की 12 तारीख तक निगम को जमा करवानी होगी।

2. बीमा :-

आवन्टी द्वारा स्वयं के रखे गये सामान का बीमा अपने खर्चे पर कराना होगा। निगम आवन्टी के सामान की किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

3 अनुबन्ध अवधि: –

बिना अनुबन्ध किये शोरूम का कब्जा आवन्टी को किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा। शोरूम 3 वर्ष के लिए आवंटित किये जावेंगे, परन्तु यह अवधि दोनों पक्षों द्वारा आपसी समझौते से अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि निविदादाता की कार्य विधि, व्यवहार तथा बिक्री सन्तोषप्रद नहीं पायी गयी तो निगम को अनुबन्ध उक्त अवधि से पूर्व भी निरस्त कर शेष अवधि के लिए शोरूम वित्तीय अधिकतम निविदादाता को अनुपातिक आधार पर उपलब्ध करा दिया जावेगा इस विषय में निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

4 धरोहर राशि: –

सफल निविदादाता द्वारा 6 माह के न्यूनतम बिक्री गारन्टी पर देय अनुपातिक कमीशन के बराबर धरोहर राशि जो बैंक गारन्टी के रूप में शोरूम पर बिक्री प्रारंभ करने से पूर्व जमा करानी पड़ेगी जो अनुबन्ध की शर्तों का पूर्ण पालन किए जाने के पश्चात् अनुबन्ध की समाप्ति पर लिखित आवेदन करने पर लौटा दी जावेगी। यदि अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पहले ही उसकी शर्तों के उल्लंघन के कारण /निरन्तर बिक्री कम होने से यदि खाता डेबिट होता है तो यदि निगम द्वारा आवन्टन समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापिस

लिया जाता है तो बैंक गारन्टी की राशि जब्त/समायोजन कर ली जावेगी तथा इसके फलरूप निगम को हुई हानि यदि बैंक गारन्टी राशि से अधिक होगी तो शेष राशि आवन्टी को देय अन्य राशि से एवं न्यायालय के माध्यम से वसूल की जावेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

5. विक्रय प्रक्रिया: –

शोरूम पर समस्त बिक्री निगम द्वारा उपलब्ध करवायी गई केशमीमों के द्वारा ही की जावेगी। राजस्थली/निगम द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जाना आवन्टी के लिए अनिवार्य है। केशमीमों की राशि निगम के द्वारा अधिकृत केश काउन्टर पर ही एकत्रित की जावेगी, जो कन्साईनर को आगामी माह की 30 तारीख तक निगम को देय कमीशन एवं अन्य बकाया राशि को काटकर भुगतान की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में चालू माह में अधिकतम एक बार अग्रिम दिया जा सकेगा, बशर्ते कि अग्रिम लेते समय उस माह का पूर्ण कमीशन, एवं अन्य बकाया राशि से अधिक की बिक्री काउन्टर पर हो जाती है

6. निविदादाता के स्वयं के अन्य शोरूम राजस्थली के आसपास होने की स्थिति में:—

यदि किसी निविदादाता का स्वयं का अथवा परोक्ष रूप से सहभागिता का शोरूम या दुकान उसी मार्ग पर जिस पर राजस्थली शोरूम स्थित है, या राजस्थली शोरूम के आसपास स्थित है, उस स्थिति में निगम सामान्य स्थिति में निविदा पर विचार न करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. विक्रय राशि पर छूट :-

आवन्टी द्वारा यदि प्रभारी अथवा निगम का अधिकृत अधिकारी निर्देश देवें, तो विक्रय राशि पर 20 प्रतिशत तक की छूट देनी होगी । इस प्रकार की छूट की आधी राशि निगम द्वारा और शेष आधी राशि आवन्टी वहन करेगा । ऐसी बिक्री पर निगम को देय निर्धारित दर पर कमीशन निगम द्वारा वहन की गई छूट की राशि को कम करके गणना की जावेगी । परन्तु आवन्टी द्वारा स्वयं की इच्छा से दी गई छूट उसके द्वारा ही वहन की जावेगी। ऐसी बिक्री पर निगम को देय कमीशन की राशि वही होगी जो कि ऐसी छूट न देने पर होती।

8. (अ) वैट /अन्य कर की वसूली:—

आवन्टी द्वारा विधि तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत बिक्री पर

निर्धारित दर से वैट वसूल करना होगा। ऐसा करने में असफल होने पर वैट की राशि विक्रय राशि से वसूल की जावेगी। हस्तशिल्प के नाम की भाषा में फेर-बदल आदि करके वैट का अपवंचन करने की स्थिति में राजस्थली के प्रबंधक/प्रभारी को यह अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर पेनल्टी लगाकर भविष्य में ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दें। यदि तीन बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, उस स्थिति में प्रबंधक/प्रभारी बिक्रीकर पर रोक लगाकर मुख्यालय को सूचित करे। निगम उक्त अवस्था में तुरन्त प्रभाव से दी गई सुविधा/अनुमति को निरस्त भी कर सकेगा।

(ब) सर्विस टैक्स व अन्य देय कर.— नियमानुसार आवन्टी को स्वयं वहन करना होगा।

9. माल की उचित दर निर्धारण: —

आवन्टी द्वारा काउन्टर पर बिक्री हेतु रखे गये माल की उचित कीमत ली जावेगी एवं उनसको इस सम्बन्ध में दिये निर्देशो का पालन करना होगा। माल की उचित दर निर्धारण में प्रबंधक/प्रभारी अथवा निगम के अधिकृत अधिकारी के निर्णय की पालना किया जाना आवन्टी के लिए अनिवार्य होगा तथा निगम को हस्तक्षेप किये जाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि आवन्टी की किसी प्रकार की त्रुटि या भूल चूक के कारण निगम को किसी भी प्रकार की हानि उठानी पडती है तो उस हानि की पूर्ति आवन्टी द्वारा करनी होगी ओर निगम को यह अधिकार होगा की उस हानि की राशि को बिक्री की राशि में से अथवा अन्य कोई देय राशि में से वसूल कर ले। किसी क्रेता की गुणवत्ता सम्बन्धी शिकायत का निराकरण निगम के निर्देशानुसार दूर करने का दायित्व आवन्टी का होगा। प्रबंधक/प्रभारी विक्रय केन्द्र को यह भी अधिकार होगा की अगर उसे काउन्टर पर किसी सामान की विक्रय दर अधिक प्रतीत होती है तो वह सामान की बिक्री बन्द करवा सकता है

10. माल की उचित गुणवत्ता:—

आवन्टी को शोरूम पर बिक्री हेतु रखे गये माल की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। निगम माल की गुणवत्ता के बारे में उचित प्रमाण-पत्र अथवा जानकारी प्राप्त कर सकता है। अपने विवेकानुसार निगम यह महसूस करता है कि बिक्री हेतु रखे गये माल की गुणवत्ता में कमी के कारण क्रेता में असंतोश की भावना उत्पन्न हो सकती है अथवा राजस्थली की साख पर विपरीत प्रभाव पड

सकता है तो आवंटन निरस्त करने व हुई हानि अगर कोई हो तो की वसूली आवन्ती से करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा ।

11. काउन्टर नियंत्रण व अधीक्षण संबंधी शर्तें : –

शोरूम पर पूर्ण नियन्त्राण व अधीक्षण निगम का होगा। निगम के अधिकारी / कर्मचारी / सेवक अथवा प्रतिनिधि काउन्टर का निरीक्षण कर सकेंगे, कि शोरूम आवंटन की शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं?

12. आवन्ती के शोरूम के कब्जे संबंधी अधिकार: –

आवन्ती को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शोरूम का कब्जा दे दें अथवा उसके किसी भाग को दूसरों के सुपुर्द कर दें। इस शर्त के उल्लंघन पर निगम द्वारा शोरूम का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा पूर्व सूचना दिया जाना निगम के लिए आवश्यक नहीं होगा एवं इससे निगम को हुई वित्तीय हानि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. आवन्ती द्वारा नियुक्त विक्रय सहायक संबंधी शर्तें: –

आवन्ती द्वारा अच्छे चरित्र व आचरण के व्यक्ति को माल की बिक्री हेतु काउन्टर पर नियुक्त किया जावेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उम्र, पता एवं नमूने के हस्ताक्षर उनके फोटो पहचान पत्र सहित निगम को उनकी वास्तविक नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत करने होंगे एवं निगम पहचान पत्र जारी कर सकेगा। निगम को अधिकार होगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगादे जो कि अवांछित हो।

14. प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं संबंधी उत्तरदायित्व:—

निगम आवन्ती के माल की हर संभव सुरक्षा एवं संरक्षा करेगा लेकिन किसी भी प्रकार की घिसावट, कमी, चोरी, (pilferage) अथवा दंगे, अग्नि, डकैती अथवा अन्य (unforeseen); कारणों, भूकम्प व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

15. कमीशन भुगतान संबंधी शर्तें: –

चैक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड जो काउन्टर पर की गयी बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त होंगे उनको भुनाने का कमीशन कन्साईनर द्वारा वहन किया जावेगा।

16. माल के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी शर्तें: –

आवन्टी केवल निर्दिष्ट माल को निगम के अधीक्षण में प्रदर्शन एवं बिक्री कर सकेगा तथा निगम द्वारा दिये गये समस्त निर्देशन एवं अनुदेशन का पालन करना होगा, जिसके असफल/उल्लंघन होने पर निगम को यह अधिकार होगा कि आवन्टी व उसके किसी अन्य कर्मचारी का शोरूम पर प्रवेश रोक दे।

17. टेलीफोन व अन्य सुविधाओं संबंधी शर्तें:—

किसी भी आवन्टी को टेलीफोन/लैण्ड लाईन, इन्टरनेट, WAN, LAN, आदिच सुविधाएं स्वयं के नाम से लेने की इजाजत नहीं होगी। इस शर्त की अवहेलना पाये जाने पर निगम बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा सकता है।

18. बकाया राशि पर ब्याज भुगतान संबंधी नियम: –

निर्धारित अवधि के पश्चात बकाया राशि पर आवन्टी द्वारा 18 प्रतिशत वार्षिक दर से निगम को ब्याज भुगतान करना होगा।

19. बिक्री शोरूम की व्यवस्था संबंधी नियम: –

आवन्टी द्वारा बिक्री शोरूम को साफ तथा अच्छी हालत में रखा जावेगा एवं अच्छी किस्म का सामान स्टोर किया जावेगा। उससे यह आशा की जाती है कि किसी भी प्रकार से काउन्टर की दीवारों, फर्श एवं अन्य ढांचे को क्षति न पहुंचे। किसी भी कारण यदि निगम को क्षति होती है तो इसकी वसूली आवन्टी से की जावेगी। उसे तथा उसके कर्मचारियों द्वारा निगम द्वारा समय समय पर एम्पोरियम/ काउन्टरर्स के लिये बनाये गये नियमों का पालन करना होगा।

20. बिक्री किये जाने वाले काफ्ट पर लागू नियमों का पालन: –

आवन्टी द्वारा बिक्री किये जाने वाले काफ्ट पर लागू समस्त केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों एवं कानूनों का पालन करना होगा और किसी भी कारण अथवा भूल से निगम को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।

21. शोरूम में प्रवेश का अधिकार: –

शोरूम में प्रवेश का अधिकार निगम द्वारा सुरक्षित है।

22. शोरूम की कार्यविधि की पालना संबंधी नियम: –

आवन्टी द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जो निगम की दृष्टि में आपत्तिजनक है अथवा जो निगम/ एम्पोरियम की कार्यविधि (Decorum) के प्रतिकूल है, नहीं किया जावे।

23. सुरक्षा संबंधी नियम: –

आवन्टी द्वारा शोरूम पर कोई भी खतरनाक, आग लगने वाला व अन्य तरह से नुकसान पहुंचाने वाला सामान नहीं रखा जावेगा।

24. शोरूम की व्यवस्था संबंधी नियम: –

शोरूम बन्द होने पर आवन्टी अपना सामान उनको दी गई जगह अलमीरा/काउन्टरर्स में ताला लगाकर सुरक्षित रखेंगे एवं एम्पोरियम बन्द होने के समय काउन्टर छोड़ देंगे। निगम एम्पोरियम का कार्य समय समय पर निश्चित करेगा व जिसका पालन आवन्टी को करना होगा।

25. निगम के नाम के उपयोग संबंधी शर्त: –

आवन्टी निगम के नाम का उपयोग बिना पूर्वानुमति के किसी विज्ञापन व प्रचार आदि के लिए नहीं करेगा। अनुमति के बाद अगर प्रचार-प्रसार करते हैं तो यह खर्चा आवन्टी को स्वयं वहन करना होगा।

26. आवंटन वापस लेने संबंधी परिस्थितियां: –

निम्नांकित किन्हीं एक कारण से आवंटन को वापिस लेने/समयावधि से पूर्व समाप्त करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा—

- क – यदि आवन्टी द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।
- ख – यदि आवन्टी पूरे कलेण्डर महिने में काउन्टर को बिक्री के लिए खोलने में असमर्थ रहे।
- ग – यदि आवन्टी कमीशन, अन्य बकाया राशि का भुगतान निर्धारित अवधि में करने में असफल रहे।
- घ – यदि आवन्टी अनुबन्ध की कोई भी शर्त का उल्लंघन करें।
- ङ – यदि आवन्टी की मृत्यु हो जावे अथवा वह दिवालिया हो जावे, जिसके कारण शोरूम पर बिक्री को बन्द करना पड़े अथवा रिसीवर या लिक्वीडेटर के तहत बिक्री करनी पड़े।

च – राज्य सरकार/निगम द्वारा ली गई नवीन नीति/ निर्णय के तहत निगम हित में पाए जाने पर निगम एक माह के नोटिस पर शोरूम खाली कराने का अधिकार रखता है।

27. आवंटन वापस लेने की दशा में निगम की यथाविधि: –

उपर्युक्त परिस्थितियों में आवंटन को वापिस लेने की दशा में निगम शोरूम का पूर्ण अधिकार माल सहित लेने में स्वतंत्र होगा निगम के समस्त बकाया का भुगतान काउन्टर को वापिस लेने की तिथि से एक महिने के अन्दर आवन्टी को करना होगा ऐसा नहीं करने पर निगम को यह अधिकार होगा कि आवन्टी के माल को नीलाम कर दें और प्राप्त राशि को आवन्टी पर बकाया तथा उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि ऐसी क्षति पूरक राशि को सम्मिलित करते हुए जैसा कि निगम अपने पूर्ण विवेक से तय करे, मय समायोजित कर ली जावेगी। उसके पश्चात यदि कोई राशि शेष रहती है तो आवन्टी को बिना ब्याज के भुगतान कर दी जावेगी।

28. आवन्टी को सूचना संबंधी नियम: –

निगम के द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आवन्टी को यदि कोई सूचना दी जाए या देना आवश्यक हो जावे तो वह पर्याप्त रूप से दी गई मानी जावेगी पोस्ट के जरिये, पंजीकृत पत्र द्वारा उल्लेखित पते पर भेजी गई हो अथवा विकल्प के रूप में वर्णित शोरूम पर चिपका दी गई हो।

29. प्रदर्शनी आयोजन संबंधी नियम: –

यदि निगम द्वारा बिक्री के लिये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है तो ऐसी प्रदर्शनी में आवन्टी को अपना माल प्रदर्शित एवं बेचने हेतु प्राथमिकता दी जा सकती हैं। अगर वह प्रदर्शनी में भाग लेने में असमर्थ रहता है उसका यह कृत्य उसके आवन्टन को समाप्त करने के योग्य होगा। इस विषय में अंतिम निर्णय निगम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जायेगा तथा कन्साईनर के लिये अंतिम तथा मान्य होगा।

30. अनुबन्ध निष्पादन संबंधी नियम: –

आवन्टी द्वारा 100 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रोफार्मा में काउन्टरर्स स्वीकृत पत्र जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा।

31. निविदा को मान्य /अमान्य करने संबंधी नियम: –

किसी भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा तथा पार्टी को इसके लिए कोई कारण नहीं बतलाया जावेगा।

32. आवंटित स्थान संबंधी नियम: –

निविदादाता निविदा देने से पूर्व संबंधित विक्रय केन्द्र के प्रबन्धक/प्रभारी से सम्पर्क कर उपलब्ध कराये जाने वाले स्थान व अन्य सुविधाओं की जानकारी कर लेवे। निगम को आवंटन स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार होगा जिस हेतु निविदादाता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। यदि आवन्टी किन्हीं परिस्थितियों में निगम द्वारा विशिष्ट प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाये गये स्थान के लिए किरायेदारी हक या अन्य दावे के लिए न्यायिक प्रक्रिया करता है तो निगम उसे ब्लेक-लिस्ट कर सकेगा।

33. अस्थायी रूप से विक्रय केन्द्र बंद करने की दशा में निगम की यथाविधि: :-

नवीनीकरण अथवा किसी अन्य कारण से निगम को यदि कुछ समय के लिए विक्रय केन्द्र बन्द करना पड़े अथवा मिनिमम सेल गारन्टी व्यवस्था रोकनी (Discontinue) पड़े तो इस अवधि हेतु देय अनुपातिक मिनिमम सेल गारन्टी राशि को कुल मिनिमम सेल गारन्टी राशि में से कम कर दिया जावेगा। उक्त अवधि में काउन्टर होल्डर द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर निगम द्वारा निर्धारित कमीशन व लाइसेन्स फीस चार्ज की जावेगी।

नोट:- भौतिक सत्यापन के समय विक्रय केन्द्र यदि बिक्री बन्द रखता है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी।

34. निगम के कार्यविधि की अवमानना संबंधी नियम: –

यदि कन्साईनर एम्पोरियम के प्रबंधक/प्रभारी के निर्देशों की अवमानना करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे आने वाले ग्राहक को यह प्रतीत हो कि काउन्टर एम्पोरियम का हिस्सा नहीं है या कन्साईनर इस काउन्टर को चला रहा है, ऐसी

स्थिति में प्रबन्धक/प्रभारी तुरन्त प्रभाव से आवन्तित काउन्टर पर बिक्री बंद कर सकता है।

35. कम्प्यूटरीकरण संबंधी नियम: –

यदि निगम अपने शोरूम का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड करवाता है तो कन्साईनर को भी आवन्तित काउन्टर का कम्प्यूटरीकरण व बारकोड पर जो भी खर्चे होंगे उसका भुगतान कन्साईनर को निगम में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

36. ड्रेस कोड संबंधी नियम: –

निगम अपने शोरूम में जो ड्रेस कोड स्थापित करता है, कन्साईनर को भी स्वयं के खर्चे पर अपने विक्रय सहायक हेतु ड्रेस कोड नियम का पालन करना होगा।

37. विवाद व निवारण संबंधी नियम: –

यदि कोई भी विवाद/मतभेद पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होने पर ऐसे समस्त विवाद / मतभेद निस्तारण हेतु प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष, राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०, जयपुर को प्रेषित किया जा सकेंगे। निगम के प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष को प्रेषित किये गये ऐसे समस्त विवादों का निस्तारण बहैसियत एकल पंच करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे। यदि प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष चाहे तो वे ऐसे विवादों /मतभेदों को बहैसियत एकलपंच निस्तारित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को मनोनित करने हेतु स्वतन्त्र होंगे। इस संबंध में पक्षकारों ने सहमति यह जानते हुये दी है कि अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक का निगम में बहैसियत अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक हित निहित है। पक्षकारों के मध्य उत्पन्न समस्त विवादों /मतभेदों का निस्तारण का क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय को होगा।

उपर्युक्त शर्तें पुर्णतया स्वीकार है।

दिनांक:
प्रतिनिधि के

स्थान :

निविदादाता / अधिकृत

हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता

(मय मोहर)

हस्ताक्षर प्रमाणित:

राजपत्रित अधिकारी / नोटेरी पब्लिक

